

प्रेस नोट

अवगत कराना है कि परिवहन आयुक्त उ०प्र० के पत्र संख्या 1234 स०सु०/2020-19स०पु०/2020 दिनांकित 28.08.2020 के माध्यम से जिलाधिकारी अध्यक्ष जिला सड़क सुरक्षा समिति /पुलिस अधीक्षक को सम्बोधित आदेश के क्रम में वर्ष 2019 के सापेक्ष सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में 10 प्रतिशत कमी लाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद द्वारा भी दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु निर्देशित किया। जिसके अनुपालन में जनपद स्तर पर 04 माह का अभियान चलाकर निम्न रणनीति तैयार की गयी है—

- जनपद के प्रत्येक थाना क्षेत्र में जनपद पुलिस/यातायात पुलिस द्वारा जनता को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिये कार्यशालाएँ आयोजित की जायेंगी।
- जनपदीय/यातायात पुलिस द्वारा जनपद के प्रत्येक स्कूल/कॉलेजों में यातायात जागरूकता अभियान चलाकर छात्र/छात्राओं को जागरूक किया जायेगा।
- अत्याधिक दुर्घटना वाले क्षेत्र (ब्लैक स्पॉट) का चिन्हीकरण कर वहाँ पर संकेत बोर्ड लगवाकर स्पीड ब्रेकर लगवाये जायेंगे।
- वाहनों/खासकर ट्रैक्टर/ट्रॉलियों/भैसा बुगियों पर रिफ्लैक्टर लगवायें जायेंगे जिसमें शुगर मिल व अन्य प्राईवेट संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा।
- जनपद की सभी सड़को के गड्डों को सम्बन्धित विभाग से सामंजस्य स्थापित कर भरवाये जायेंगे।
- जनपद में मुख्य-मुख्य स्थानों व स्कूल कॉलेजों के आस-पास यातायात सम्बन्धी फ्लैक्शी बोर्ड लगवायें जायेंगे।
- यातायात नियमों का पालन कराने के लिये जागरूकता रैलियो को निकालकर जनजागरूकता फैलायी जायेगी।
- यातायात जागरूकता अभियान में मीडिया का भी सहयोग लिया जायेगा।
- यातायात पुलिस का नियतन (जनशक्ति) को बढ़ाया जायेगा।
- डॉयल 112 का प्रचार प्रसार किया जायेगा।
- 108 एम्बुलेंस सेवा व प्राईवेट अस्पतालों की ब्रीफिंग की जायेगी।

थाना मण्डावर :- थाना मण्डावर पर मा0 प्रधानमंत्री व मा0 गृह मंत्री के विरुद्ध सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 204/20 धारा 504 भादवि0 व धारा 67 आई0टी एक्ट कें वांछित अभि0 अखलाख पुत्र अकरम निवासी नारायणपुर थाना मण्डावर को गिरफ्तार किया गया।



थाना स्योहारा:- आज दिनांक 02.09.2020 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा अभि0 मनोज कुमार पुत्र निहाल सिंह निवासी ग्राम पाईन्दापुर थाना स्योहारा को 01 अवैध तमन्चा सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 440/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया।



थाना हीमपुर:- आज दिनांक 02.09.2020 को थाना हीमपुर पुलिस द्वारा अभि० नसीम पुत्र इस्लामुद्दीन, जीशान पुत्र कुतुबुद्दीन, नदीम पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी ग्राम धनौरी थाना नौगामा सादात जनपद अमरोहा को 01-01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हीमपुर पर मु०अ०सं० 137/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि० बनाम नसीम, मु०अ०सं० 138/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि० बनाम जीशान, मु०अ०सं० 139/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि० बनाम नदीम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।



थाना नांगल:- आज दिनांक 02.09.2020 को थाना नांगल पुलिस द्वारा अभि० गुड्डू पुत्र सलीम निवासी ग्राम पुंडरी कलां थाना नांगल जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध थाना नांगल पर मु०अ०सं० 72/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत किया गया।



थाना हीमपुर:- आज दिनांक 02.09.2020 को थाना हीमपुर पुलिस द्वारा अभि० सरफराज पुत्र महबूब निवासी रेहरा थाना हीमपुर जनपद बिजनौर को मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना हीमपुर पर मु०अ०सं० 140/20 धारा 20/21 एन०डी०पी०एस० एक्ट पंजीकृत किया गया।



थाना शि०कलां:- आज दिनांक 02.09.2020 को शि०कलां पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि० 1-राजू उर्फ राजकुमार पुत्र हेमराज, 2-टोनी उर्फ बलकरण पुत्र महेन्द्र सिंह, 3- प्रमोद कुमार पुत्र भारत सिंह, 4- लीलपत सिंह पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण सेला थाना शि०कलां को गिरफ्तार किया गया।



थाना किरतपुर:- आज दिनांक 02.09.2020 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि० 1-यूसुफ पुत्र रमजानी, 2- इमरान पुत्र रमजानी, 3-सलीम पुत्र नन्हे, 4-नाजिम पुत्र मौ० अली निवासीगण ग्राम गाजीपुर थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया।



थाना अफजलगढः- आज दिनाँक 02.09.2020 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी में अभि० सुनील पुत्र लाखन निवासी ग्राम सुआवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया ।

